



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बुधवार, 8 अप्रैल, 2026

चैत्र 18, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 92/79-वि-1-2026-2-क-9-2026

लखनऊ, 8 अप्रैल, 2026

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2026) जिससे गृह (पुलिस) अनुभाग-9 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है, जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन)

(संशोधन) अध्यादेश, 2026

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2026)

[भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन)

(संशोधन) अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

1-यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश दण्ड विधि(अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2026 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश 2-उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन)  
अधिनियम संख्या 35 (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) में  
सन् 1979 की शब्द और अंक "मोटर यान अधिनियम, 1988 के; या" के स्थान पर शब्द और अंक  
धारा 9 का संशोधन "मोटर यान अधिनियम, 1988 के, जो ऐसा अपराध न हो जो गैर-शमनीय हो, अथवा जिसके  
लिए अनिवार्य कारावास उपबंधित हो, या जो पुनरावृत्ति अपराध की श्रेणी में आता हो; या" रख  
दिये जायेंगे।

आनंदीबेन पटेल  
राज्यपाल,  
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,  
जे०पी० सिंह-II,  
प्रमुख सचिव।

No. 92(2)/LXXIX-V-1-2026-2-ka-9-2026

*Dated Lucknow, April 8, 2026*

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dand Vidhi (Apradhon Ka Shaman Aur Vicharon Ka Upshaman) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2026 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 9 of 2026) promulgated by the Governor. Grih (Police) Anubhag-9 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH CRIMINAL LAW (COMPOSITION OF OFFENCES AND  
ABATEMENT OF TRIALS) (AMENDMENT) ORDINANCE, 2026  
(U.P. ORDINANCE NO. 9 OF 2026)

*[Promulgated by the Governor in the Seventy-seventh Year of the Republic of India]*

AN

ORDINANCE

*further to amend the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and  
Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979.*

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Ordinance, 2026.

2. In sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979, for the words and figures “the Motor Vehicles Act, 1988; or”, the words and figures “the Motor Vehicles Act, 1988, not being such offence which is non-compoundable, or for which mandatory imprisonment is provided, or which falls within the category of a repeat offence; or” shall be substituted.

Amendment of  
Section 9 of U.P.  
Act no. 35 of 1979

ANANDIBEN PATEL  
Governor,  
Uttar Pradesh.

By order,  
J.P. SINGH-II,  
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 43 राजपत्र-2026-(85)-599 प्रतियां-(डी०टी०पी० / ऑफसेट) ।  
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 3 सा० विधायी-2026-(86)-300 प्रतियां-( डी०टी०पी० / ऑफसेट) ।